

## Order sheet [Contd]

case No: ba- 252/2017 B.A

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
05/07/17 03:45 pm to 04:00 pm	<p>वीरेन्द्र शिवहरे सहित श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक/राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल ए.जी.पी. उपस्थित ।</p> <p>आवेदक ने अपने जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 द.प्र.सं0 के साथ अपने बड़े भाई दिनेश शिवहरे का शपथपत्र पेश किया है। आवेदक का द्वितीय जमानत जमानत आवेदनपत्र बताया गया है। सत्र प्रकरण क्र0-107/2016 का मूल अभिलेख प्राप्त है। आवेदक के जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये ।</p> <p>आवेदक वीरेन्द्र शिवहरे की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसे कलेक्टर भिण्ड के द्वारा जिला बदर कर दिया गया था और प्रथम से प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया, जिसमें आवेदक लगभग पांच माह गोहद उपजेल में निरुद्ध रहा। जिला बदर का आदेश होने के कारण वह दि0-27/01/2017 की पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था। उसके बाद धारा-14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध होने से उसे दि0-15/02/2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में भेज दिया गया था। उक्त मामले में दि0-29/06/2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का आदेश किया गया था, उसके बाद जमानत पर रिहा होकर तुरंत इस प्रकरण में अनुपस्थित हो गया है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री बघेल ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदक वीरेन्द्र शिवहरे की ओर से माननीय उच्च न्यायालय की एम.सी.आर.सी. क्र0-6886/2017 में पारित जमानत आदेश दि0-29/06/2017 की फोटोकॉपी पेश की गयी है, जिसके अनुसार म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में दि0-15/02/2017 से न्यायिक निरोध में होने के तथ्य हैं। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध जिला बदर का आदेश किया गया था। इस कारण वह दि0-27/01/2017 को उपस्थित नहीं हो सका था। यह वह कारण है, जो आवेदक के अपने नियंत्रण में नहीं है। मामले की इन परिस्थितियों को देखते हुए जबकि पूर्व से ही माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी जमानत पर आदेश किया जा चुका था और वह दि0-27/01/2017 को अनुपस्थित हो गया था। यह देखते हुए आवेदक को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उसका जमानत आवेदनपत्र स्वीकार किया गया । एवं आदेशित किया जाता है कि यदि आरोपी/आवेदक वीरेन्द्र शिवहरे की ओर से 35 हजार रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का आरोपी</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>का स्वयं का बंधपत्र धारा-437(3) जा.फौ. में उपबंधित शर्तों सहित पेश किया किया जावे तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे। आदेश की मूल सत्रवाद प्रकरण में संलग्न हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)